सत्यमेव जयते
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS
नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

आज़ादी का अमृत महोत्सव

फ़ाइल सं. 20-19016/37/2020-प्रशिक्षण-नौमनि

दिनांक: 31.01.2022

नौमनि आदेश संख्या 2022 का 03

विषय: दिनांक 30.01.2020 के नौमनि आदेश संख्या 01/2020 का संशोधन IV-संबंधी

1. जबकि निदेशालय ने "समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में कक्षाओं में उपस्थित हुए बिना झूठे या जाली प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बारगी माफ़ी योजना-संबंधी" विषय पर दिनांक 30.01.2020 के नौमनि आदेश संख्या 01/2020 जारी किया है।
2. जबकि उक्त नौमनि आदेश के अनुच्छेद 11(डी) में कहा गया था- जिन उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम दोहराया नहीं है, वे 1 फरवरी 2020 से छह महीनों के भीतर ऐसा कर सकते हैं और अपनी ई-मईग्रंट सुविधा की बहाली के लिए आवेदन कर सकते हैं और उक्त को 10 दिन के भीतर बहाल किया जाएगा।
3. जबकि उक्त नौमनि आदेश के अनुच्छेद 11(ई) में कहा गया है कि- "कोई भी अन्य समुद्रकर्मी जो निदेशालय को गलत तरीके से प्राप्त अपने प्रमाणपत्र को सरैंडर करना चाहता है, वह ऐसा कर सकता है और पाठ्यक्रम को 31 जुलाई 2020 तक बिना किसी रोक के दोहरा सकता है। यह सुविधा 31 जुलाई 2020 के पश्चात उपलब्ध नहीं होगी एवं वापो(सीडीसी-सह-एसआईडी) नियम के अनुसरण में इस तिथि के पश्चात सरैंडर करेंगे तो डीबार किया जाएगा।"
4. जबकि दिनांक 23.07.2021 के नौमनि आदेश संख्या 1/2020 के संशोधन-III के माध्यम से पाठ्यक्रम दोहराने का एवं ई-मईग्रंट सुविधा के बहाली हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 30.6.2021 से 31.12.2021 तक बढ़ा दी गयी थी।
5. जबकि ऐसे उम्मीदवारों से निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने में असमर्थता और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को फिर से करने के लिए समय सीमा को बढ़ाने के संबंध में कई निवेदन प्राप्त हुए हैं।

6. जबकि प्रचलित कोविड-19 महामारी के कारण सभी समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों(एमटीआई) को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था और उम्मीदवार आवश्यकता अनुसार अपने प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को दोहराने में असमर्थ रहे।
7. उपर्युक्त को देखते हुए निदेशालय ने दिनांक 30.01.2020 के आदेश संख्या 01/2020, क्रमशः दिनांक 03.03.2020,12.01.2021 और 23.07.2021 के नौमनि आदेश संख्या के संशोधन I, II और III की समीक्षा की है और उक्त आदेश के अनुपालन हेतु समय सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया है जो नीचे दिये गए हैं;

7.1. अनुछेद 11(डी) को अब ऐसे पढ़ा जाएगा-"जिन उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम दोहराया नहीं है, वे 30.06.2022 तक ऐसा कर सकते हैं और उनकी ई-मईग्रंट सुविधा में बहाली हेतु आवदेन करें और उक्त को 10 दिन के भीतर बहाल कर दिया जाएगा।"

7.2. अनुच्छेद 11(ई) को ऐसे पढ़ा जाएगा- कोई अन्य समुद्रकर्मी जो दिनांक 31.08.2020 तक निदेशालय को अपने गलत तरीके से प्राप्त प्रमाणपत्र को सरैंडर करता है/ सरैंडर किया है, उसे किसी रोक के बिना दिनांक 30.06.2022 तक पाठ्यक्रम को दोहराने की अनुमति दी जाएगी। यह सुविधा उन समुद्रकर्मियों के लिए उपलब्ध नहीं होगी जो अपने गलत तरीके से प्राप्त प्रमाणपत्र को दिनांक 31.03.2022 के पश्चात सरैंडर करते हैं और उनको वापो (सीडीसी-सह-एसआईडी) नियम के अनुसरण में डीबार कर दिया जाएगा।।"

8. ऐसे सभी उम्मीदवार इस तथ्य पर ध्यान दें कि इसे पाठ्यक्रम को फिर से करने का अंतिम अवसर मानें और आगे इसको बढ़ाने का विचार नहीं किया जाएगा।

3/4/22

(अमिताभ कुमार)
नौवहन महानिदेशक एवं
अपर सचिव, भारत सरकार

नौमनि वैबसाइट के माध्यम से सभी संबंधित